न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 1209 / 2002 / हनुमानगढ

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ।

.....अपीलार्थी

बनाम

1— रामपाल
2— प्रताप
3— भादर
पुत्रान धर्माराम
4— सुबेसिंह
5— जगदीश
पुत्रान फूलसिंह उर्फ हरफूल जाति जाट साकिन भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड—पीठ
श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित :
श्री वी0पी0सिंह, राजकीय अभिभाषक
श्री ब्रहमानंद शर्मा, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

दिनांक

निर्णय

1— यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13—12—01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट वादी ने एक राजस्व वाद इस्तकरारहक व इंद्राज दुरूस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट सरकार न्यायालय सहायक कलेक्टर नोहर के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी के सबंध में पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी

वादीगण की पुरानी खातेदारी की भूमि है जो उनके कब्जेकाश्त में चली आ रही है, जिसे राजकीय भूमि गलत दर्ज कर दिया गया। वादीगण विवादित आराजी को अपने हक में दर्ज कराने के अधिकारी है किंतु गलत इंद्राज के आधार पर वादी के कब्जेकाश्त में बेदखल करने की धमकी देता है। वादी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः दावा डिक्री किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये वादीगण का वाद साबित न होने की स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 20–7–01 द्वारा खारिज कर दिया।

3– परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट वादी ने प्रथम अपील, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13–12–01 द्वारा प्रत्यर्थी वादी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–7–01 खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 20–7–01 से व्यथित होकर यह हस्तगत द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में पेश की गई है।

4– उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकोर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करते हुये तनकीवार निर्णय पारित किया था। जबकि अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। रेस्पोडेंट वादी परीक्षण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे यह सिद्ध होता हो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय व संवत् 2012 में वादी आराजी मुतनाजा पर बहैसियत काबिजकाश्त हो। जब तक वादी अपने आप को साबित नहीं करता उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। रेस्पोडेंट वादी का कथन था कि विवादित भूमि भाखडा परियोजना क्षैत्र में स्थित है एवं उसे आंवटित हुई है। किंतु उसके द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि यह आराजी उसके किस प्रकार प्राप्त हुई है तथा भूमि उसे कब आवंटित हुई है। केवल मात्र परचा खतौनी में अंकन मात्र से दावा डिक्री नहीं कराया जा सकता। वादी रेस्पोडेंट के द्वारा जो खतौनी परचा पेश किया गया था उस पर कोई साल, संवत् दर्ज नहीं था। उक्त दस्तावेज को आधार मानकर अपीलीय न्यायालय ने वाद को गलत डिक्री किया है। अपीलीय अधिकारी ने संवत् 2002 में विपक्षी का कब्जा नहीं माना तथा इस तथ्य को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी राज्य सरकार पर डालकर निर्णय किया जो अनुचित है। कानूनन कोई व्यक्ति खातेदारी का दावा करता है तो उसे साक्ष्य से सिद्ध

करना होता है कि वह उसका खातेदार काश्तकार है। वादी के निस्तारण में यह महत्वपूर्ण बिन्दु था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व संवत् 2012 में विवादित आराजी पर वादीगण बहैसियत कृषक काबिज काश्त थे। विवादित भूमि भाखडा परियोजना क्षैत्र में स्थित है एवं वादी को आंवटित हुई है। किंतु उसके द्वारा किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे आवंटन माना जा सके। रिकोर्ड के स्त्रोत क्या है वादी सिद्ध नहीं कर पाये। खतौनी पर्चा जिस पर किसी प्रकार का वर्ष, संवत् अंकित नहीं है तथा काश्तकार के नाम के आगे जाति जटिया अंकित है जबकि वादी स्वयं जाट है। अपीलीय अधिकारी ने सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा आवश्यक तनकीयात कायम की जाकर सभी तनकीयों पर विस्तृत विवेचन करते हुये वाद खारिज किया है जबकि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअदांज करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत अपील स्वीकार की है। अपीलीय न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से वादी प्रत्यर्थीगण की अपील स्वीकार करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी रेस्पोडेंट अकेला काबिजकाश्त है। भूमि पुश्तैनी है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से तथा संवत् 2012 से उसका कब्जाकाश्त साबित है। परीक्षण न्यायालय में वादी द्वारा साक्ष्यों से तनकीयात साबित कराने के बावजूद वाद खारिज किया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों एंव वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की स्पष्ट विवेचना करते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर वादी अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर द्वितीय अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज की जावे।

7— उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों पर उपलब्ध निर्णयों के साथ रेकॉर्ड का गहनता से अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

8— राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रथम तनकी में प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी संवत् 2035 ता 2038 खाता संख्या—200 के अनुसार विवादित

आराजी वादीगण के नाम दर्ज होना अंकित किया है। जबकि स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनकी जाति जटिया दर्ज है। वादी रेस्पोडेंट ने इस सबंध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि जब किसी भूमि के लिये कोई कृषक रिकोर्ड आफॅ राईट में खातेदार दर्ज हो जाता है तब उसका परिवर्तन किसी नामांतरकरण के जरिये ही संभव है और उसका भार प्रतिवादी पक्ष के उपर डालते हुये यह मान लिया कि यह भूमि वादीगण की खातेदारी में दे दी। जहां तक यह अंकित करना कि संवत् 2012 में विवादित भूमि वादीगण के कब्जेकाश्त की नहीं है का कोई अर्थ नहीं है, भी गलत है। क्योंकि भाखडा उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का अर्जन जरिये निलामी आवंटन इत्यादि से भी हुआ है तथा उस पर शर्तो की पालना के बाद खातेदारी अधिकार अर्जित किये हुये है। भूमि के अर्जन का स्त्रोत या भूमि आवंटन हो सकती है और उसे सिद्ध करने का दायित्व पूर्ण रूपसे वादी रेस्पोडेंट को था। मात्र कयास के आधार पर अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या–1 का निस्तारण वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध तय की है, जो प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से परे एवं अनुचित है। तनकी संख्या–2 में संवत् 2012 से वादीगण का कब्जा नहीं है, इस तनकी का भार भी प्रतिवादी पर डालना उचित नहीं है। सवंत् 2012 का दस्तावेज वादी रेस्पोडेंट को प्रस्तुत करना आवश्यक था क्योंकि वाद का मुख्य आधार वादी ने संवत् 2012 से विवादित आराजी पर कब्जा होना अंकित किया था। राजस्व अपीलय प्राधिकारी द्वारो बिना साक्ष्य सबूत के उक्त तनकी भी रेस्पोडेंट वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध तय करना कानून सम्मत् नहीं कहा जा सकता।

विवादित आराजी संवत् 2047 से 49 तथा संवत् 2042 में सिवायचक दर्ज है जिस पर वादी अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। सिवायचक आराजी उसे किस प्रकार प्राप्त हुई है तथा भूमि उसे कब आवंटित हुई है। केवल मात्र परचा खतौनी में अंकन मात्र से दावा डिक्री नहीं कराया जा सकता। वादी रेस्पोडेंट के द्वारा जो खतौनी परचा पेश किया गया था उस पर कोई साल, संवत् दर्ज नहीं था। उक्त दस्तावेज को आधार मानकर अपीलीय न्यायालय ने वाद को गलत डिक्री किया है। वादीगण का वाद सिद्ध न होने की स्थिति में ही परीक्षण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के साथ उसका वाद खारिज किया है किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को सही आलोक में नहीं देखकर मात्र कयास एवं बिना साक्ष्य/दस्तावेज के आधार पर वादी की अपील स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त किया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः द्वितीय अपील स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–12–01 निरस्त किया जाता है तथा सहायक कलेक्टर नोहर मुख्यालय भादरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–7–01 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(चिरंजीलाल दायमा)
सदस्य